संख्या-82 /2022/703/12-3099/88/2021/100(10)2014/टी0सी0-7

प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक

उ0प्र0, कृषि भवन,

लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊःदिनांकः 02 नवम्बर, 2022

विषयः- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना की वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना के बिन्दु संख्या-**10(vii) एवं 11(ix)** में संशोधन की प्रशासकीय स्वीकृति के संबध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक आपके पत्रांक-सोलर/486/पी0एम0कुसुम/कार्य0योज0/2022-23, दिनांक 25 अक्टूबर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना की वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-34/2022/174/12-3099/88/2021/100(10) 2014/टी0सी0-VI, दिनांक 28-04-2022 के बिन्दु संख्या-**10(vii) एवं 11(ix)** में निम्नवत् संशोधन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बि0सं0	**शासनादेश दिनांक 28-04-2022 द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना**	**कार्ययोजना में संशोधन**
10(vii)	चयनित लाभार्थी सूची हेतु फर्म को यूजर आई0डी0 पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित फर्म द्वारा सिर्फ सोलर पम्प से सम्बन्धित चयनित कृषक के सम्बन्ध में ही विवरण देखा जा सके। आपूर्तित एवं स्थापित सोलर पम्प का विवरण फोटोग्राफ (कृषक एवं सोलर पम्प) एवं अन्य विवरण पोर्टल पर अपलोड कराने की व्यवस्था की जायेगी।	चयनित लाभार्थी सूची हेतु फर्म को यूजर आई0डी0 पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित फर्म द्वारा सिर्फ सोलर पम्प से सम्बन्धित चयनित कृषक के सम्बन्ध में ही विवरण देखा जा सके। आपूर्ति एवं स्थापना की तिथि पोर्टल पर अंकित की जायेगी तथा कृषक के साथ स्थापित सोलर पम्प की फोटो अपलोड की जायेगी।
11(ix)	सम्बन्धित फर्म द्वारा स्थापित सोलर पम्प के	सम्बन्धित फर्म द्वारा स्थापित सोलर पम्प के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	मूल्य का बिल केन्द्रांश, राज्यांश एवं कृषक अंश का विवरण बिल में अंकित करते हुए तीन प्रतियों में जनपदीय उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। फर्म द्वारा बिल की एक प्रति पृथक से सम्बन्धित कृषक को भी उपलब्ध करायी जायेगी। सत्यापन के उपरान्त उप कृषि निदेशक द्वारा सत्यापित बिल (भुगतान की संस्तुति सहित) समस्त सम्बन्धित के हस्ताक्षर सहित हैंडिंग ओवर सर्टिफिकेट, स्थापित पम्प की कृषक के साथ फोटोग्राफ, जे0सी0आर0 तथा कृषक का फोटोयुक्त आई0डी0 पोर्टल पर आनलाइन अपलोड करनी होगी तथा इसकी दो प्रतिया नोडल अधिकारी (पी0एम0-कुसुम) कृषि भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा। कृषक अंश, राज्यांश एवं केन्द्रांश का भुगतान भारत सरकार द्वारा एजेन्सी के साथ किये गये अनुबन्ध के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की व्यवस्था करायी जायेगी।	मूल्य का बिल केन्द्रांश, राज्यांश एवं कृषक अंश का विवरण बिल में अंकित करते हुए तीन प्रतियों में जनपदीय उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। फर्म द्वारा बिल की एक प्रति पृथक से सम्बन्धित कृषक को भी उपलब्ध करायी जायेगी। सत्यापन के उपरान्त उप कृषि निदेशक द्वारा सत्यापित बिल (भुगतान की संस्तुति सहित) समस्त सम्बन्धित के हस्ताक्षर सहित हैंडिंग ओवर सर्टिफिकेट, स्थापित पम्प की कृषक के साथ फोटोग्राफ, जे0सी0आर0 तथा कृषक का फोटोयुक्त आई0डी0 की हार्ड कापी निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। पोर्टल पर सत्यापनकर्ता का नाम, पदनाम तथा सत्यापन का दिनांक अंकित किया जायेगा। कृषक अंश, राज्यांश एवं केन्द्रांश का भुगतान भारत सरकार द्वारा एजेन्सी के साथ किये गये अनुबन्ध के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की व्यवस्था करायी जायेगी।

2- उक्त के अतिरिक्त पोर्टल पर क्या अभिलेख अपलोड होंगे, कौन से नहीं और क्या कम्पनी को अवमुक्त करने हेतु अभिलेखों में क्या संशोधन वांछित होंगे, इस हेतु कृषि निदेशक, उ0प्र0 अधिकृत होंगे। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी और कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सोलर पम्प लगने का सत्यापन सही समय से हो और भुगतान भी समय अवधि में हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार संशोधित कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अखण्ड प्रताप सिंह

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवीनीकरण एवं ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- निदेशक, नवीन एंव नवीनीकरण एंव ऊर्जा मंत्रालय(एम0एन0आर0ई0), लोधी रोड, नई दिल्ली।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- निदेशक, नेडा, गोमतीनगर, लखनऊ।
11- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
12- अपर कृषि निदेशक (तिलहन/दलहन), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदशक, उत्तर प्रदेश।
14- सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।